न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या–5/विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट), मथुरा

उपस्थितः–श्वेता वर्मा (उच्चतर न्यायिक सेवा)
{J.O.Code No. UP 6428}
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–901/2026
सी०एन०आर०सं० UPMT01–001785/2026
पुष्पेन्द्र बनाम उ.प्र. राज्य

आदेश

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त पुष्पेन्द्र की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–70/2026, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–नौहझील, जिला मथुरा के अन्तर्गत जमानत प्रदान किये जाने हेतु दिया गया है।

2– संक्षिप्त अभियोजन कथानक के अनुसार गैंग लीडर पुष्पेन्द्र तथा गैंग के सदस्य आकाश के साथ मिलकर एक सुसंगठित आपराधिक गिरोह बना रखा है। इस गैंग का मुख्य पेशा भौतिक एवं शारीरिक वासना की पूर्ति एवं दुनियाबी लाभ हेतु, गॉव की लड़कियो को बहला फुसलाकर, गुमराह कर उनके साथ जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार करना एवं अपने चंगुल में फंसाये रखने के लिये घटना का वीडियो बनाना तथा पीड़िता द्वारा विरोध करने पर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देना शामिल है। इस गैंग के भय एवं आतंक के कारण जनता का कोई भी व्यक्ति इनके विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत एवं गवाही देने का साहस नहीं जुटा पाता है। गैंग चार्ट के अनुसार अभियुक्त का निम्न आपराधिक इतिहास हैः–

अभियुक्त पुष्पेन्द्र –

I. मु०अ०सं० 138/2025, धारा 70(1),75 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट, थाना नौहझील, जिला मथुरा।

3– जमानत प्रार्थनापत्र एवं शपथपत्र में शपथकर्ता ने यह अभिकथित किया है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है, इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय या अन्य किसी न्यायालय में न तो विचाराधीन है और न ही खारिज हुआ है। अभियुक्त, थाना नौहझील पुलिस द्वारा फोटो वैरीफिकेशन हेतु बुलाने पर थाने गया था, परन्तु थाना पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर दिनांक 22.02.2026 को चालान कर दिया। अभियुक्त के विरूद्ध गैंगचार्ट में केवल एक मुकदमा पंजीकृत है। अभियुक्त दिनांक 22.02.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। उक्त आधार पर जमानत की याचना की गयी है।

4– मैंने प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से लोक अभियोजक के तर्क सुने एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

5– प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि अभियुक्त निर्दोष है, वह आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। अभियुक्त का न तो किसी सक्रिय गैंग से संबंध है तथा न ही आपराधिक इतिहास है। अतः प्रश्नगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दी जाये।

6– राज्य के लोक अभियोजक ने दौरान बहस यह तर्क दिया कि प्रार्थी/अभियुक्त आपराधिक गिरोह के गैंग का गैंगलीडर हैं। अभियुक्त अन्य अभियुक्तगण के साथ एक राय व संगठित होकर शारीरिक वासना की पूर्ति एवं दुनियाबी लाभ हेतु, गॉव की लड़कियो को बहला फुसलाकर, गुमराह कर उनके साथ जबरदस्ती सामूहिक बलात्कार करना एवं अपने चंगुल में फंसाये रखने के लिये घटना का वीडियो बनाने जैसे अपराध कारित कर धनोपार्जन करने के अभ्यस्त अपराधी हैं। अतः अभियुक्त की जमानत खारिज की जाये।

7– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **राधागुप्ता बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य,** 2022

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2026.03.20 15:31:26 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एस०सी०सी०, ऑन लाईन एस०सी० 514, के मामले में यह अवधारित किया गया है कि '' व्यक्ति जिसके विरूद्ध मात्र एक प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा आरोपपत्र संस्थित हो, उसके विरूद्ध उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 का मामला संस्थित किया जा सकता है। ''

8– पत्रावली को अवलोकित करने से स्पष्ट है कि अभियुक्त/प्रार्थी के विरूद्ध एक आपराधिक मुकदमा दर्ज हैं। उक्त मुकदमा बलात्कार आदि से सम्बन्धित है। प्रार्थी /अभियुक्त आपराधिक गैंग का गैंगलीडर बताया गया हैं। गिरोह के सभी मुल्जिमानों का आपराधिक इतिहास है। धारा–19(4 ख)उ०प्र० गिरोहबंद समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 द्वारा अपेक्षित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी अभियुक्त/प्रार्थी को तभी जमानत दी जायेगी, जब न्यायालय का यह समाधान हो जाये कि अभियुक्त/प्रार्थी ऐसे अपराध के दोषी नहीं है तथा वह जमानत पर रहते हुए पुनः अपराध कारित नहीं करेंगे।

अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अभियुक्त/प्रार्थी को जमानत पर रिहा किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त/प्रार्थी पुष्पेन्द्र का जमानत प्रार्थनापत्र मु०अ०सं० 70/2026, धारा 2/3 उ०प्र० गिरोहबंद अधिनियम, थाना–नौहझील, जिला मथुरा **निरस्त** किया जाता है

आदेश की एक प्रति अभियुक्त/प्रार्थी को **निःशुल्क** प्रदान की जाये।

दिनांक–19.03.2026

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
विशेष न्यायाधीश (गैंगस्टर एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं० 05, मथुरा
ID UP 6428